तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्याः डी.ई.–25 (13)/320/वि.कार्य/2018–19/ 1495-96 दिनाँक – 21.08.19

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054।

विषयः– विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 16 दिनांक 22.08.2019 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 16, जो कि दिनाँक 22.08.2019 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

(एस.सी. मीणा)
उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

संख्याः डी.ई.–25 (13)/320/वि.कार्य/2018–19/ 1495-96 दिनाँक – 21.08.19
प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054 (150 प्रतियाँ)।

(एस.सी. मीणा)
उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

O/c

Scanned by CamScanner

विभाग का नाम :– **शिक्षा विभाग**

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 16

दिनाँक :– 22.08.2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों के भवनों का पुनर्विन्यास करने का दावा किया जा रहा है;	दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के राजकीय विद्यालयों के भवनों पुनर्विन्यास का सतत प्रयास किया जा रहा है।
ख)	यदि हाँ, तो फिर क्या कारण है कि राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिल्ली सरकार के स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं;	जिला पश्चिम 'अ' में कुल 58 राजकीय विद्यालय है जिसमें से राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में 10 विद्यालय भवन आते हैं जिनमें से 15 विद्यालय (प्रातः एवं सायंकालीन) संचालित होते हैं तथा इनमें से 7 विद्यालयों में पुनर्विन्यास का कार्य चल रहा है। 1 विद्यालय पायलट स्कूल घोषित होने के कारण पृथक से पुनर्विन्यास कार्य होना है। कोई भी विद्यालय जर्जर अवस्था में नहीं है।
ग)	इन विद्यालयों में पढ़ने वाले मासूम बच्चों की जान को आसन्न संकट को देखते हुए क्या सरकार की इन स्कूलों के पुनर्विन्यास की कोई योजना है; और	उपरोक्त (ख) के आलोक में लागू नहीं।
घ)	यदि हाँ, तो अब तक यह कार्य न करवाये जाने के क्या कारण हैं; पूर्ण विवरण दें?	उपरोक्त (ख) के आलोक में लागू नहीं।

DDE (W)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi

Scanned by CamScanner